# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 01 सन् 2020

श्रीमति केमू पत्नि स्व0 श्री जीया उम्र 84 साल जाति राईका निवासी ग्राम हनुतिया तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर

------वादीया

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये भूधारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर राज0

––प्रतिवादी

2– श्री नारायण पुत्र स्व0 श्री जीया जी उम्र 60 साल जाति राईका निवासी ग्राम हनुतिया तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर

-----प्रफोर्मा–प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
एंव सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 31.03.2021

संक्षिप्तः वादीया ने अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि मौजा हनुतिया पटवार हल्का हनुतिया तहसील बिजयनगर में खसरा नंबर 1378 रकबा 0.1456 हैक्टयर, 1379 रकबा 0.2993 हेक्टयर, 3488/1387 रकबा 0.1415 हेक्टयर स्थित है, उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 के पति/पिता जीया की विरासत से प्राप्त हुई है। जीया पुत्र आफू की मृत्यु के बाद उनका फोती दाखिल खारीज संख्या 1565 दिनांक 6.4.2011 को खोला जाकर उक्त नामान्तकरण में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम व पिता का नाम सही अंकन किया लेकिन वादीया का नाम केमू के स्थान पर पेमा सहवन से राजस्व कर्मचारीयो के द्वारा अंकन किया गया जबकि पेमा पत्नि जीया नाम की श्री जीया के पत्नि नही है। जमाबंदी में गलत अंकन दरामद होकर पेमा पत्नि आफु अंकन दरामद किया गया है जबकि पेमा पत्नि आफु के स्थान पर केमू पत्नि जीया अंकन किया जाना चाहिये। वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 अनपढ ग्रामीण परीवेश के व्यक्ति है, जिनको कि विधि की जानकारी नही है। उक्त दुरूस्ती करने हेतू हल्का पटवारी से दिनांक 2.8.2019 को कहां तो उन्होने कहां कि न्यायालय का आदेश लाओ तब ही तुम्हारा नाम व तुम्हारे पति का नाम दुरूस्त करेंगे। इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादग्रस्त भूमियो में वादीया का पेमा पत्नि आफु के स्थान पर केमू पत्नि जीया खातेदार घोषित किया जावे। तथा वाद खर्चा दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई। गई प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने पत्र कमांक/एलआर/20/2949 दिनांक 14.8.2020 में नामान्तकरण संख्या 1565 स्वीकृत दिनांक 6.4.2011 के अनुसार जीया पुत्र आफु के स्थान पर विरासत से नारायण पुत्र जीया, पेमा पत्नि आफु जाति रायका के नाम नवीन अंकन स्वीकार हुआ।

प्रकरण में बहस सुनी गई वकील वादीया ने अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

.....लगातार

(भोजनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

राजस्व वाद संख्या 01 सन् 2020

श्रीमति केमू बनाम राजस्थान सरकार वगैरह

//2//

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। वादीया ने अपने वाद पत्र में कथन किया गया है, कि विवादित आराजीयात में जीया पुत्र आफु का फोती दाखिल खोलते समय सहवन से नारायण पुत्र जीया तो सही अंकन किया किन्तु पेमा पत्नि आफु गलत अंकन कर दिया जबकि वादीया का नाम पेमा पत्नि आफु नही होकर उसका नाम केमू पत्नि जीया है। वादीया द्धारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में विवादित भूमियां वादीया 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा खातेदार दर्ज चला आ रहा है। वर्किग जमाबंदी संवत 2041 में जीया, महाराम पिसरान आफु रेबारी दर्ज चला आ रहा है। जमाबंदी संवत 2065 से 2068 में विवादित भूमियां जीया पुत्र आफु के नाम एंव इसी जमाबंदी में लाल स्याही से जरिये नामान्तकरण संख्या 1565 दिनांक 6.4.2011 से विरासत से जीया पुत्र आफु के स्थान पर नारायण पुत्र जीया व पेमा पत्नि जीया खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है। नामान्तकरण संख्या 1565 में विवादित भूमियो का विरासती स्वीकृत हुआ है। वादीया का पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक की पास बुक में वादीया का नाम केमू पत्नि जीया अंकित होना पाया गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत हनुतिया द्धारा प्रमाण पत्र दिनांक 25.7.2019 में भी पेमा पत्नि आफ व केमू पत्नि जीया एक ही नाम से जाना जाता होने बाबत कथन किये गये है प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना शपथ पत्र पेश कर वादिया के वाद पत्र की पुष्टी की है ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीया का नाम केमू पत्नि जीया व पेमा पत्नि आफु एक ही महिला है। इसलिये वादीया का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर मौजा हनुतिया पटवार हल्का हनुतिया तहसील बिजयनगर में खसरा नंबर 1378 रकबा 0.1456 हैक्टयर, 1379 रकबा 0.2993 हेक्टयर, 3488/1387 रकबा 0.1415 हेक्टयर भूमियो मे जो वादीया का नाम पेमा पत्नि आफु अंकित किया गया उसको निरस्त किया जाकर उसके स्थान पर केमू पत्नि जीया अंकित किये जाने के आदेश पारीत किये जाते है तहसीलदार बिजयनगर उक्तानुसार आदेश की पालना करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया )
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

मोहनलाल खटनावलिया
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.